संख्याः 67 /15-1131/90-4-1211/91

प्रेषक,

श्री वी0 वेंकटाचलम,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

सेक्रेटरी,
सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्ड्री एजूकेशन,
2/19, सन्त विहार, अन्सारी रोड,
दरियागंज, नई दिल्ली ।

शिक्षा (3) अनुभाग   लखनऊः दिनांकः 14 मार्च, 1991

विषयः सेन्ट मेरीज कान्वेन्ट स्कूल, मझोला, मुरादाबाद को अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में ।

XX--X--X--X--X--X--X--XX

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सेन्ट मेरीज कान्वेन्ट स्कूल, मझोला, मुरादाबाद को सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्ड्री एजूकेशन नई दिल्ली से सम्बद्धता प्रदान किये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन आपत्ति नहीं है :-

(क) सामान्य प्रतिबन्ध

1- विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।

2- विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान मेधावी और पिछड़े एवं निर्बल वर्ग के बच्चों के लिये सुरक्षित रहेंगे तथा उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालय में विभिन्न कक्षाओं के लिये निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।

3- संस्था को राज्य सरकार द्वारा कोई अनुदान नहीं दिया जायेगा ।

4- संस्था के सभी अध्यापक/अध्यापिकायें प्रशिक्षित होंगे । संस्था के शिक्षक तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान एवं अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे ।

5- राज्य सरकार अथवा शिक्षा विभाग द्वारा जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे उनका पालन करना संस्था के लिये अनिवार्य होगा ।

6- विद्यालय में अनुशासन तथा शिक्षा का स्तर उच्च कोटि का रखा जायेगा ।

(ख) विशेष प्रतिबन्ध

1- विद्यालय की प्रबन्ध समिति रजिस्टर्ड होगी तथा समय समय पर नियमानुसार उसका नवीनीकरण भी कराया जायेगा ।

2- विद्यालय में प्रत्येक कक्षा व अनुभाग के लिये उचित आकार के कक्षा कक्ष दो वैकल्पिक विषय कक्ष, दो प्रयोगशाला कक्ष तथा चार प्रशासनिक कक्ष की व्यवस्था की जायेगी ।

3- कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्तिक लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।

4- विद्यालय का लेखा जोखा निर्धारित प्रपत्रों/पंजिकाओं में रखा जायेगा ।

उक्त शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा । किसी भी समय उक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय

(सी० वेंकटरमण)
विशेष सचिव ।

संख्या: /15-1131/91-4-1128/91 तद्दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- शिक्षा निदेशक, अपर शिक्षा सा०-2 अनुभाग, उ०प्र०, इलाहाबाद।
2- मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, मुरादाबाद ।
3- जिला विद्यालय निरीक्षक, मुरादाबाद ।
4- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय, उ०प्र०, लखनऊ ।
5- प्रबन्धक, सेन्ट मैरीज कान्वेन्ट स्कूल, गजरौला, मुरादाबाद ।

आज्ञा से,

(सी० वेंकटरमण)
विशेष सचिव ।

PRINCIPAL
ST. MARY'S CONVENT SCHOOL
(AFFILIATED TO C.B.S.E. - NEW DELHI)
P.O. BHARTIAGRAM, GAJRAULA
AMROHA (J.P. NAGAR) U.P.-244 223
FFILIATION NO. 2130164 SCHOOL CODE - 81053

Manager
St. Mary's Convent School
P.O. Bhartiagram, Gajraula,
Distt. Amroha (U.P.) 244223